

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर

पत्रांक 242 / 14-1 दिनांक, कानपुर, 15-07-2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर

विषय:— 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारिषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित हो रही 0.8155 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 1.1391 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 1.9546 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या-3413/11-सी-FP/UP/TRANS/21539/2016 दिनांक 26.04.2023 एवं आपका पत्रांक 3057/14-1 दिनांक 09.05.2023।


दय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.04.2023 से लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार ~~04~~ प्रतियों आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

क्रम सं०	अपेक्षित आख्या	निराकरण
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 89-91 पर संलग्न है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम वन भूमि का मूल्य और प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 96 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	लीज रेंट प्रमाण पत्र में 30 वर्ष का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 में 35 वर्ष अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः सही डाटा लीज वर्ष अंकित करे।	आन लाइन संशोधित कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 61 पर संलग्न है।
5	प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 97-98 पर संलग्न कर दिया गया है।
6	पारिषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 99 पर संलग्न कर दिया गया है।
7	पारिषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतया औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग - 2 में अपलोड करे।	प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-101 पर संलग्न कर दिया गया है।


8	प्रस्तावित वन भूमि के एन० पी० वी० में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 100 पर संलग्न है।
9	इको क्लास की गणना संलग्न है किन्तु गणना में दर गलत ली गयी है, अतः सही दर के अनुसार गणना कर संशोधित एन० पी० वी० की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग - 2 में पूर्व का डिलीट कर संशोधित अपलोड करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 28 पर संलग्न है।
10	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक- 2 में प्रस्तावित वन भूमि का लीगल स्टेटस अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है, अतः सही लीगल स्टेटस फीड करें।	संशोधित कर दिया गया है।
11	ऑनलाइन भाग- 2 व हार्डकॉपी भाग- 2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में फीड किया गया विवरण भिन्न-भिन्न है। अतः एक सामान सही विवरण ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकॉपी भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में फीड करे।	संशोधित कर दिया गया है।
12	तीन वैकल्पिक रुट्स की टोपोशीट संलग्न है किन्तु उस पर शीर्षक व लीजेंड गलत अंकित है तथा प्रस्तावित रुट्स का तुलनात्मक जस्टिफिकेशन तथा तीन वैकल्पिक रुट्स का जिओ रिफरेंस डिजिटल मैप, ज़डस् फाइल भी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 89-91 पर संलग्न कर दिया गया है।
13	प्रस्ताव में संलग्न पेन ड्राइव में पी०डी०एफ० फाइल अलग - अलग है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल तथा प्रस्ताव की उसफाइल एवं तीन वैकल्पिक रुट्स की उसफाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करे।	संशोधित कर दिया गया है।

सं/क-उपरोक्तानुसार (संशोधित सूचना)।

भवदीया

 (दिव्या)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 कानपुर

संख्या 242 /समदिनोक्ति।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


 (दिव्या)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 कानपुर